झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–03.04.2017

विज्ञापन संख्या–06/2017

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन लेखा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–2279 (अनु0) दिनांक–14.03.2016 तथा नगर विकास विभाग, राँची के पत्रांक–184(अनु0) दिनांक–19.01.2015 द्वारा **लेखा पदाधिकारी** के पदों पर सीधी भर्त्ती/नियुक्ति हेतु संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से विहित शर्त्तों एवं निर्देशों के अनुरूप ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **(i) पद का नाम– लेखा पदाधिकारी (Account Officer)**

   (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy				
		No. of vacancies	Women		Handicapped		
				Sports	Visual impairment	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	08	01	-	01	-	-
ii	SC	02		-			
iii	ST	04		-			
iv	BC-I	01		-			
v	BC-II	01		-			
Total of (i) to (v)		16	-	-	-	-	-

2. वेतनमान – PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay – 5,400)

3. परीक्ष्यमान अवधि – 02 (दो) वर्ष

4. पद – स्थायी

5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता** :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या सांख्यिकी विषय में स्नातक डिग्री हो।

6. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** :– **01.08.2015**

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :— **21 वर्ष**

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–609, दिनांक–25.01.2016 के अनुसार :—

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	शारीरिक रूप से अक्षम
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग–I / पिछड़ा वर्ग–II	37 वर्ष	42 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग–I / पिछड़ा वर्ग–II)	38 वर्ष	43 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

(ग) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–360, दिनांक–21.01.2003 के अनुसार राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :— चयन हेतु प्रारंभिक, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायेगी।

8. **परीक्षा का स्वरूप** :—

(A) प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के दो पत्र निम्न प्रकार होंगे। :—

(I) General Studies Paper-1

(i) History of India and Indian National Movement
(ii) India and world Geography
(iii) Indian Polity and Economy
(iv) History, Geography, Economy and Culture of Jharkhand

(II) General Studies Paper-II

(i) General Science
(ii) General Mental Ability
(iii) Current Events of State, National and International Importance

प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। प्रश्न–पत्र देवनागरी एवं रोमन लिपि में होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की समय–सीमा 2–2 घंटे की होगी।

(B) मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय :—

1. सामान्य हिन्दी 100 अंक का
2. सामान्य अंग्रेजी 100 अंक का
3. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–1, 200 अंक का
4. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–2, 200 अंक का

टिप्पणी:–सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्राप्त लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और व्यक्तित्व परीक्षण के लब्धांकों में नहीं जोड़ा जायेगा, लेकिन जो उम्मीदवार अनिवार्य सामान्य हिन्दी पत्र एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(C) उपर्युक्त अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा में 04 वैकल्पिक विषय होंगे। उम्मीदवार इन विषयों में से कोई एक विषय ले सकते हैं :–

1. वाणिज्य
2. अर्थशास्त्र
3. सांख्यिकी
4. गणित

नोटः–

1. वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे तथा प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा।
2. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो झारखंड के विश्वविद्यालयों के तीन वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है।
3. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का एक बार किया गया चुनाव अंतिम होगा जो किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जायेगा।
4. परीक्षा में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रकार का यात्राभत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

09. परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक :–

कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–I	34%
अनुसूचित जाति / जनजाति	32%

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ / विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए कोटिवार रिक्त कुल पदों की 15 गुणा संख्या में shortlist किया जायेगा। मुख्य परीक्षा से कोटिवार रिक्तियों के तीन से चार गुणा संख्या में अभ्यर्थियों को अन्तर्वीक्षा के लिए सफल घोषित किया जायेगा।

अपवादः–वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नही होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. आरक्षण का लाभ :–

(क) **ऑनलाइन** (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही उन्हें उम्र सीमा में छूट का लाभ भी देय नहीं होगा।

(ग) **(i)** झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार को, चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे।

(ii) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) के अनुसार साक्षात्कार के समय उक्त सम्बंधित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे, जो न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी के चयन की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात बैकलॉग नहीं होगा।

(ङ) आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न जाति प्रमाण पत्र, जिसे आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा के समय प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मूल रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे।

(च) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) एवं मुद्रित आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

12. (i) **<u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

 (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

 (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

 (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. परीक्षा शुल्कः–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)/पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) कोटि के उम्मीदवारों को रू0 **600 (छह सौ) + बैंक चार्ज** मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को रू0 **150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र देय होगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का विवरण **ऑनलाइन** (Online) आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

(iii) **झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।** बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द समझे जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त्त एवं निर्देश :–

(क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।

(ख) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी/मैट्रिक प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष के अनुसार जन्मतिथि/जाति प्रमाण पत्र की विवरणी (जहाँ लागू हो) ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ड.) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।

(च) जन्म तिथि–आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

(छ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

(ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

15. अंतिम तिथि :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 03.03.2017 से 03.04.2017 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं

(ख) दिनांक–**03.04.2017** के बाद दिनांक–**06.04.2017** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।